

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2009

का.आ. 3253.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा आयकर नियमावली, 1962 (उक्त नियमावली) के नियम 5ग तथा 5ड. के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से आगे संगठन नूरूल इस्लाम एजुकेशनल ट्रस्ट, कन्या-कुमारी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आंशिक रूप से अनुसंधान कार्यकलापों में लगे "कालेज" की श्रेणी में अनुमोदित किया गया है, नामतः

- अनुमोदित संगठन को प्रदत्त राशि का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा;
- अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों अथवा अपने नामांकित छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा;
- अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसके द्वारा प्राप्त राशि के संबंध में अलग खाता-बही रखेगा जिसमें अनुसंधान करने के लिए प्रयुक्त राशि दर्शाई गई हो, उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप धारा (2) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार से अपनी खाता-बही का लेखा परीक्षा कराएगा और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप धारा (1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित एवं हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा;
- अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान तथा प्रयुक्त राशि का अलग विवरण रखेगा और उपर्युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित ऐसे विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा।

2. केन्द्र सरकार यह अनुमोदन वापिस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन :-

- पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में उल्लिखित लेखा बही नहीं रखेगा; अथवा
- पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में उल्लिखित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेगा; अथवा
- पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में उल्लिखित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान एवं प्रयुक्त राशि का अपना विवरण प्रस्तुत नहीं करेगा; अथवा
- अपना अनुसंधान कार्य करना बंद कर देगा अथवा इसके अनुसंधान कार्य को जायज नहीं पाया जाएगा; अथवा
- उक्त नियमावली के नियम 5ग और 5ड. के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगा तथा उनका पालन नहीं करेगा।

[अधिसूचना सं. 88/2009/फा.सं. 203/52/2009-आ.क.नि.-II]  
अजय गoyal, निदेशक (आ.क.नि.-II)

New Delhi, the 26th November, 2009

S.O.3253.—It is hereby notified for general information that the organization Noorul Islam Educational Trust, Kanyakumari has been approved by the Central Government for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 (said Act), read with rules 5C and 5E of the Income-tax Rules, 1962 (said Rules) from Assessment year 2009-10 onwards in the category of 'College', partly engaged in research activities subject to the following conditions, namely :-

- The sums paid to the approved organization shall be utilized for Scientific research ;
- The approved organization shall carry out scientific research through its faculty members or its enrolled students;
- The approved organization shall maintain separate books of accounts in respect of the sums received by it for scientific research, reflect therein the amounts used for carrying out research, get such books audited by an accountant as defined in the explanation to sub-section (2) of Section 288 of the said Act and furnish the report of such audit duly signed and verified by such accountant to the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax having jurisdiction over the case, by the due date of furnishing the return of income under sub-section (1) of Section 139 of the said Act;
- The approved organization shall maintain a separate statement of donations received and amounts applied for scientific research and a copy of such statement duly certified by the auditor shall accompany the report of audit referred to above.

2. The Central Government shall withdraw the approval if the approved organization:-

- fails to maintain separate books of accounts referred to in sub-paragraph (iii) of paragraph 1; or
- fails to furnish its audit report referred to in sub-paragraph (iii) of paragraph 1; or
- fails to furnish its statement of donations received and sums applied for scientific research referred to in sub-paragraph (iv) of paragraph 1; or
- ceases to carry on its research activities or its research activities are not found to be genuine; or
- ceases to conform to and comply with the provisions of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the said Act, read with rules 5C and 5E of the said Rules.

[Notification No. 88/2009/F.No. 203/52/2009/ITA-II]  
AJAY GOYAL, Director (ITA-II)

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2009

का.आ. 3254.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा आयकर

सत्यापित  
शुभ-सं-2  
22-5-12  
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)  
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग  
शहरी विकास मंत्रालय  
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54